न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारीः जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तः–

1. श्री सुशील शर्मा पुत्र श्री बाबुलाल शर्मा **(खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक)**
   निवासी– बीजा पटेल की ढाणी, भिलपुरा, अनोपपुरा, जयपुर।
   फर्म –मैसर्स आपणी डेयरी, सुजानपुरा, तहसील कुचामन जिला डीडवाना–कुचामन

प्रकरण संख्या :–04 / 2024

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx), धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 और 58 "

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर
2. अधिवक्ता श्रीमती लक्ष्मी चौधरी अभियुक्त की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 15.05.2024

1. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.11.2023 को समय 11:00 ए.एम. पर फर्म मैसर्स आपणी डेयरी, सुजानपुरा, तहसील कुचामन जिला डीडवाना–कुचामन पर पँहुचा। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति सुशील शर्मा पुत्र श्री बाबुलाल शर्मा निवासी बीजा पटेल की ढाणी, भिलपुरा, अनोपपुरा, जयपुर पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ दूध इत्यादि को रखा पाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रयार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय का अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता मालिक ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नही होना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 40 लीटर दूध (लूज) एक चिलिंग टेंक में रखे है, आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। विक्रेता को पुछने पर उक्त दूध मिक्स दूध (लूज) होना बताया है। इनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने खाद्यकारोबारकर्ता मालिक को प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता मालिक को बता दिया था कि यह दूध का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता से उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ 40 लीटर दूध को हिला मिलाकर एकरूप करके उसमें से 2 लीटर मिक्स दूध (लूज) नमुना जांच हेतु खरीदा जिसकी किमत खाद्यकारोबारकर्ता मालिक को रू. 76/–नगद (अक्षरे छियतर रूपये मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ, सूखी एंव खाली चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदागाय का दूध को चार बराबर–बराबर भागों में बाटकर चारों साफ सुखे एंव खाली बोतलों में डाला एंव प्रत्येक बोतल में 40–40 बुंद फार्मलिन की बतौर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारों नमूना बोतलों के ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। उक्त चारों भागों के लिए विक्रेता मालिक एंव गवाहान की उपस्थिति में चार अलग–अलग लेबल तैयार कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q-2679 लिखा एवं अन्य विवरण अकिंत कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात प्रत्येक नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–2679 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर कराये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये। खाद्यकारोबारकर्ता मालिक ने भी नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को कोस करते हुए हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना भागो को अपने कब्जे प्राप्ति में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिस खाद्य कारोबारकर्ता सुशील शर्मा एवं गवाहान ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 16:13:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

5. फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/898 दिनांक 22.11.2023 मय जांच रिपोर्ट संख्या LS/1703/Act/2023/1701 दिनांक 09-11-2023 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया नमुना मिक्स दूध (लूज) सबस्टेण्डर्ड है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांकः–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2022/898 दिनांक 21.11.2023 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

7. प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिक्स दूध (लूज) सबस्टेण्डर्ड विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:20 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 09.05.2023 को अभियुक्त सुशील शर्मा (खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक) की ओर से अधिवक्ता श्रीमति लक्ष्मी चौधरी ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

किया, जो शामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से खाली कागजो व लेबलों पर हस्ताक्षर करवाए है तथा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने झूठे तथ्यो पर प्रकरण पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी सुना गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अप्रार्थी से किसी भी खाली कागज व लेवल पर हस्तक्षर नहीं करवाए है। अप्रार्थी द्वारा बैचा जा रहा मिक्स मिल्क जॉच रिपोर्ट अनुसार अवमानक पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ को बेचकर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लघन किया है। अतः अप्रार्थी पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जावें।

9. पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. LS/1703/Act/2023/1701 दिनांक 09-11-2023 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of Mixed milk bearingCode no. and Sr. no. Q-2679 of Designated officer cum Chief Medical and Health Officer, Nagaur is Sub Standards as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation,2011.

जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्यकारोवारकर्ता सुशील शर्मा से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिक्स दूध नमूना नं.–2679 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक(सवस्टेण्डर्ड) है जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ को बेचने का जुर्माना धारा 58 में वर्णित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx), धारा 26 की उपधारा 2(ii) , 51 एंव 58 इस प्रकार है:–

धारा – 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zx) "अवमानक" से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है या उसमें कोई खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा–58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

10. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जा.रि/2022/436 दिनांक 17.06.2022 से उक्त अभियुक्त श्री सुशील शर्मा को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-2679 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया, जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ को बेचने का जुर्माना धारा 58 में वर्णित है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है ना ही जवाब के समर्थन में साक्ष्य सबुत प्रस्तुत किए है। इस प्रकार अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर फर्म–मैसर्स आपणी डेयरी, सुजानपुरा, तहसील कुचामन जिला डीडवाना–कुचामन खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक सुशील शर्मा पुत्र श्री बाबुलाल शर्मा निवासी बीजा पटेल की ढाणी अनोपपुरा, जयपुर दोषी व उतरदायी है।

11. अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की [illegible] की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)[illegible] 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य [illegible] 2006 की धारा 51 एंव 58 के तहत खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक [illegible] बाबुलाल शर्मा निवासी बीजा पटेल की ढाणी, भिलपुरा, अनोपपुरा, जयपुर फर्मः– मैसर्स आपणी डेयरी, सुजानपुरा, तहसील कुचामन जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 18:13:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

डीडवाना–कुचामन पर राशि रुपये 15,000/–(अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

12. आदेश आज दिनांक 15.05.2024 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ★ कुचामन सिटी ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:20 IST
Reason: SelfAttested